

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 420]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 1968/कार्तिक 13, 1890

No. 420] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 1968/KARTIKA 13, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह धूलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th November 1968

S.O. 3965.—In exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of the notified order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Supply (Department of Industry) No. S.O. 3035, dated the 24th September, 1965, the Central Government hereby authorises, with immediate effect, Shri R. P. Sinha, Managing Director of the Bihar State Industrial Development Corporation (hereinafter referred to as the Authorised Controller), to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Hindustan Vehicles Limited, Patna, vice Shri U. N. Rai.

2. The following notifications shall apply in respect of the above-said Authorised Controller also, namely:—

- (i) Notification No. S.O. 3329, dated the 19th October, 1965 of the Government of India in the late Ministry of Industry and Supply (Department of Industry).
- (ii) Notification No. S.O. 2935, dated the 30th August, 1968 of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development).

[No. LEI(A)-26(15)/64]

D. R. SUNDARAM, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा समन्वय कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1968

एस० ओ० 3966.—उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग तथा पूर्ति मंत्रालय (उद्योग विभाग) के अधिसूचित आदेश सं० 3035, दिनांक 24 सितम्बर, 1965 में आंशिक रूप-भेद करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर० पी० सिन्हा को (उसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक के नाम से निर्दिष्ट होंगे), श्री यू० एन० राय के स्थान पर सम्पूर्ण मे० हिन्दुस्तान बैटिकल्स लिमिटेड, पटना नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध तत्काल अपने हाथ में लेने का प्राधिकार देती है।

2. निम्नलिखित अधिसूचनाएं उपर्युक्त प्राधिकृत नियंत्रक के विषय में भी लागू होंगी, अर्थात्:

(1) भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग तथा पूर्ति मंत्रालय (उद्योग विभाग) की अधिसूचना एस० ओ० 3329/ दिनांक 19 अक्तूबर, 1965।

(2) भारत सरकार के औद्योगिक विकास तथा समन्वय-कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० एस० ओ० 2955, दिनांक 30 अगस्त, 1968।

[सं० एल० ई० आई० (ए)—26 (15)/64.]

डी० आर० सुन्दरम, संयुक्त सचिव,